मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–6/2011/1–15/क0क0 भोपाल, दिनांक 18/02/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः–मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।

सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 13.01.2016

सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 22.12.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किया गया है । तत्समय म0प्र0 तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भोपाल के वैद्यानिक पदाधिकारियों की जानकारी रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्था से प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त संघ को कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि नहीं दी जा सकी है। रजिस्ट्रार फर्म एवं सस्था से म0प्र0 तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की वैद्यानिक जानकारी प्राप्त हो चुकी है ।

2/ दिनांक 13.1.2016 को जारी कार्यवाही विवरण की प्रति उक्त संघ के प्रांताध्यक्ष को भेजी जा रही है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–6/2011/1–15/क0क0 भोपाल, दिनांक 18/02/2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
4. निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रातांध्यक्ष, म0प्र0 तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, एफ 85/61 तुलसी नगर, भोपाल की ओर दिनांक 13.1.2016 को जारी कार्यवाही विवरण की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय कर्मचारी संघों की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

403

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय

कमांक एफ 05–06/2011/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक 13-1-16

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः **मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।**

––00––

विषयांतर्गत दिनांक 22 दिसम्बर 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् की बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया कार्यवाही विवरण अनुसार पालन प्रतिवेदन एक माह में अनिवार्य रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 5–6/2011/1–15/क0क0 भोपाल, दिनांक 13-1-16

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, एफ 113/46 शिवाजी नगर भोपाल पिन– 462016।
6. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0लघु वेतन कर्म0संघ, 228 क्वाटर्स, कर्मचारी भवन, गीतांजली काम्पलेक्स, टी.टी. नगर, भोपाल।
7. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0शिक्षक कांग्रेस, बी–29 शास्त्री नगर, जवाहर चौक, भोपाल।
8. अध्यक्ष, म0प्र0सचिवालयीन (मंत्रालयीन) कर्मचारी संघ, मंत्रालय स्कूटर स्टेंड के पास वल्लभ भवन, भोपाल।

09. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी संघ, एफ 48/1, साउथ, टी.टी. नगर, भोपाल।
10. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0शिक्षक संघ, 69/1, साऊथ टी.टी.नगर, भोपाल।
11. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0कर्मचारी कांग्रेस, विंध्याचल भवन, बैसमेंट, भोपाल।
12. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0अनुसूचित जाति–जन जाति अधिकारी/ कर्मचारी संघ, (अजाक्स), एफ 88/12, सेकेण्ड स्टाप, पोस्ट आफिस के ऊपर, तुलसी नगर, भोपाल।
13. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0पटवारी संघ निवास– मॉ द्वारका भवन, न्यू जैन कोलोनी, सनावद तह. सनावद जिला खरगौन।
14. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0लिपिक वर्गीय शास0कर्म0 संध, जी–97/37 तुलसी नगर भोपाल।
15. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जी –8/90, न्यू 228 क्वाटर, साउथ टी.टी. नगर भोपाल।
16. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0डिप्लोमा इंजीनियर्स एसो0, यांत्रिकी भवन, 181, जोन –1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल।
17. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0शास0वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, एच–28–ए/25 साउथ टी.टी. नगर प्लेटिनम प्लाजा के पास, भोपाल।
18. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0अनु0जाति/जन जाति पिछड़ा वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संगठन (अपाक्स), ऊर्जा भवन, मुख्य मार्ग क्रं. 2 शिवाजी नगर भोपाल ।
19. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0राजस्व निरीक्षक संघ, 27 बाल विहार वाटर टेंक के पास भोपाल
20. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0 आई0टी0आई0 तकनीकी कर्मचारी संघ, 47, मधुवन कालोनी आर. टी.ओ. रोड इन्दौर।
21. प्रान्ताध्यक्ष, म0प्र0सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ, आर. ए. के. पशु चिकित्सा संस्थान, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल– 08।
22. प्रान्ताध्यक्ष, प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ सांईनाथम्–31, दीपक सोसायटी चूना भट्टी कोलार रोड़ भोपाल –462016 मध्यप्रदेश।

की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

विषयः—**मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।**

विषयान्तर्गत परिषद् की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को पूर्वान्ह 12.00 बजे मंत्रालयीन स्थित समिति कक्ष क्रमांक—506 में सम्पन्न हुई । बैठक में श्री रमेश शर्मा, अध्यक्ष म0प्र0 राज्य कर्मचारी संघ भी उपस्थित थे। उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट—एक एवं दो पर है।

2/ प्रमुख सचिव, सा0प्र0 विभाग द्वारा प्रथमतः संघ के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पदाधिकारियों से मांग के संबंध में विचार रखने का अनुरोध किया गया । संघवार पदाधिकारियों ने निम्नानुसार मांग/समस्याओं के निराकरण हेतु ध्यान आकर्षित कराया गया :—

1. <u>म0प्र लघु वेतन कर्मचारी संघ, भोपाल</u>

(1) प्रदेश में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वृत्तिकर से मुक्त रखा जावें, क्योकि वार्षिक आय के हिसाब से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी की आय 1:14 है। ऐसी स्थिति में एक वर्ष में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी वृत्तिकर कर 2500/— कटता है। जो असामान्य एवं विसंगति है, ऐसी स्थिति में वृत्तिकर में छूट दी जानी चाहिए।

(2) प्रदेश में कार्यरत आकस्मिक एवं कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में संघ द्वारा समय—समय पर शासन का ध्यान आकर्षित करावाया जाता रहा है, उक्त सेवा के कर्मचारियों को पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, समयमान, वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है। अतः आकस्मिक कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों को उपरोक्त लाभ दिये जाने या नियमित सेवा कर्मचारियों की भॉति सभी सुविधायें प्रदान की जायें।

मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वृत्तिकर आय पर आधारित है, जो शासकीय कर्मचारियों के साथ अन्य पर भी लागू है । इस संबंध में अगले वित्तीय वर्ष में विचार करेंगे। क्रमोन्नत वेतनमान् के संबंध में 31 मार्च, 2016 के पूर्व निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही— वाणिज्यकर/वित्त/सा.प्र.वि.—3)

निरन्तर....2

2. अध्यक्ष, म0प्र0सचिवालयीन (मंत्रालयीन)कर्मचारी संघ, भोपाल

(1) मंत्रालयीन अनुभाग अधिकारी/निज सचिव का वेतनमान भारत सरकार छत्तीसगढ़ शासन एवं विधानसभा सचिवालय के रिपोटर की भॉति रू.8000 किया जायें।

(2) मंत्रालय सेवा के सेटअपरिव्यू हेतु गठित समिति के काम में तेजी लाई जाये, सेटअप रिव्यू बाहरी एजेंसी के बजाय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही किया जाये तथा सेटअपरिव्यू में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की सहभागिता एवं सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जायें।

मुख्य सचिव द्वारा बिन्दु कमांक–एक पर विचार करने तथा बिन्दु कमांक–2 पर 03 माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– वित्त/सा.प्र.विभाग)

3. म0प्र0 शिक्षक संघ, भोपाल

(1) प्रदेश में पदोन्नति हेतु पात्र सभी सहायक शिक्षकों की शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाये।

(2) सभी कर्मचारियों की भॉति शिक्षकों को भी समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए।

मुख्य सचिव द्वारा आगामी शिक्षण सत्र के पूर्व पात्र सहायक शिक्षकों को पदोन्नत करने तथा समयमान वेतनमान के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श कर मार्च, 2016 के पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– स्कूल शिक्षा/वित्त/सा.प्र.विभाग)

4. म0प्र0कर्मचारी कांग्रेस, संघ, भोपाल

(1)दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारी की सेवाऐं एकमुश्त नियमित करते हुये कार्यभारित कर्मचारियों को सम्पूर्ण स्टाईल सेवा काल में दो क्रमोन्नति वेतनमान, मृत्यु उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाये। मा0 न्यायालय में अनेक वर्षों से मामले लंबित हैं । संविदा कर्मचारियो के संबंध में दिनांक 28.6.2001 को जो बैठक हुई थी और उस विभिन्न विभागों से अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे उस निर्णय लिया गया था जो 22 जून, 2013 को जारी किया गया था जहॉ पदरिक्त हैं वहॉ नियमित किया जावेगा ।

2. गंभीर बीमारी में अस्वस्थ्य तथा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से कार्य न कर सकने वाले शासकीय सेवकों के एक आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जायें।

मुख्यसचिव द्वारा अवगत कराया कि दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है विचार किया जा रहा है। बिन्दु कमांक–2 पर विचार करना इसलिए उपयुक्त नहीं है कि नियुक्तियॉ पारदर्शी तरीके से होना चाहिए ।

(कार्यवाही–वित्त/सा.प्र.विभाग)

निरन्तर....3

5. म0प्र0 पटवारी संघ

(1) म.प्र. में पटवारी का वेतन वर्ष 1998 में 3500–5200 रू. किया गया था, छठवें वेतन में 5200–20200+2100 पे–ग्रेड निर्धारित किया गया है जो कि पटवारियों को कार्य को देखते हुये बहुत कम है। भारत देश के पंजाब व हिमाचल में अन्य राज्यों में पटवारी को रू. 10300–34800+3200 पे–ग्रेड व हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र में पटवारी को रू. 5200–20200+2400 पे–ग्रेड दिया जा रहा है। म.प्र. में पटवारी का वेतनमान. रू. 5200–20200+2100 पे–ग्रेड दिया जा रहा है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत ही कम होकर विरोधाभासी है।

(2) म.प्र. भू–अभिलेख नियमावली भाग–1 के पटवारियों के मूल नियम 9 (25) (ख) के अधीन अतिरिक्त हल्कों का वेतन रू. 9 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है नियमावाली सन् 1959 में बनी है, जब पटवारी का वेतन 36 रू. हुआ करता था, जो कि वेतन का लगभग 25प्रतिशत था, उक्त के अतिरिक्त हल्के का वेतन रू. 9 में आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई संशोधन नही किया गया है, इसलिए वर्तमान पटवारी के वेतन को देखते हुये वेतन का 25 प्रतिशत या 5000रू. दिया जाना आवश्यक है साथ ही अतिरिक्त हल्के का यात्रा भत्ता एवं स्टेशनरी भत्ता भी पृथक से इन्चार्ज पाटवारी को दिया अति आवश्यक है।

मुख्य सचिव द्वारा व्यक्त किया गया कि यह विसंगति नही मांग है । इस पर विचार करेंगे ।

(कार्यवाही– राजस्व/वित्त विभाग)

6. म0प्र0 लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ

(1)राज्य शासन के अधीन समस्त विभागों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों हेतु (लिपिक संवर्ग के समस्त पदों को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित करते हुये समान वरिष्ठ का निर्धारण समान पदोन्नति के सौंपान, मय अनुपातिक प्रणाली के साथ हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा के उत्तीर्ण करने के बंधन को समाप्त करते हुए) सा.प्र.वि. द्वारा एक आदर्श भर्ती पदोन्नति पदनाम व समान वेतनमान लागू किया जायें। यूडीसी से लेखापाल के पद पदोन्नत होने पर ग्रेड 2800 से 2400 हो जाता है यह एक विसंगति है । चार स्तरीय रचना कम लागू किया जाए । लेखापाल को सहायक ग्रेड–1 के समान माना जाए । समस्त विभागों के लिपिकों का समान सौंपान होना चाहिए ।

(2) विभागीय/कार्यपालिक पदों पर परीक्षा व आयु सीमा का बंधन समाप्त करते हुये वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जावें।

मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि पदोन्नतियॉ नियमों के आधार पर की जाती हैं । यदि किसी विशेष विभाग में नियमों के अनुसार पदोन्नतियॉ नहीं हो रही हैं तो संघ संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करायें । सहायक ग्रेड–2 में लेखापाल पद पर पदोन्नति उपरांत ग्रेड पे कम होने के संबंध में परीक्षण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–समस्त विभाग)

3

निरन्तर.....4

7. म0प्र0 स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्वस्थ्य कर्मियों को ग्रामीण भत्ता प्रदान किया जाए।

(2) चिकित्सकों के समान स्टाफ नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को भी रात्री कालीन भत्ता प्रदान किया जाए।

मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

8. म0प्र0 वाहन चालक संघ

(1) अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यभारित आकस्मिकता सेवा के वाहन चालक, यांत्रिकी कर्मचारी, अनुकम्पा नियुक्ति, समयमान वेतनमान, अवकाश नगदी करण की सुविधा नियमित कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । कार्य को स्वरूप कोदेखते हुए उनका सुविधा मिलना चाहिए ।

(2) शासकीय विभागों में वाहन चालकों की भर्ती का कई वर्षो से रोक लगी है, वाहन चालक लगातार सेवानिवृत्त होते जा रहें है जिससे विभागों में वाहन चालकों की संख्या कम होती जा रही है। अतः वाहन चालक की भर्ती पर रोक हटाकर नई भर्ती की जावें।

मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यभारित कर्मचारियों के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

(कार्यवाही—सा0प्र0 विभाग)

- 3 -

9. म0प्र0अनु0जाति/जन जाति पिछड़ा वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संगठन (अपाक्स), भोपाल

(1) आरक्षित वर्गो के बैकलॉग के पदों की पूर्ति शीघ्र की जावें।

(2) राज्य शासन/नगरीय निकायों/ निगमों मण्डलों अथवा शासकीय निधि से संचालित समस्त संस्थाओं में संविदा एवं अन्य प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किये जाने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किये जाये ।

विशेष **भरती अभियान अन्तर्गत बैकलॉग की पूर्ति हेतु 30 जून, 2016 तक समय वृद्धि की गई है । मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि संविदा नियुक्ति पर आरक्षण लागू है तथा इसका पालन करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं । जहॉ कहीं आउटसोर्सिंग से नियुक्ति है तो वहॉ आरक्षण नियम लागू नहीं होता।**

(कार्यवाही—सा0प्र0 विभाग)

निरन्तर....5

10. म0प्र0 राजस्व निरीक्षक संघ

(1) राजस्व निरीक्षकों का वेतनमान 5000—8000 एवं ग्रेड—पे 3200 किया जाए तथा स्टेशनरी भत्ता 1000 प्रतिमाह किया जाए । प्रदेश के अन्य निरीक्षकों जैसे पुलिस निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक, नापतौल निरीक्षक के वेतनमान 5500 से 9000 है। अतः राजस्व निरीक्षकों का भी वेतनमान 5000—8000 एवं ग्रेड—पे 3200 किया जाए तथा स्टेशनरी भत्ता 1000 प्रतिमाह किया जाए।

मुख्यसचिव द्वारा व्यक्त किया गया कि विभिन्न विभागों के निरीक्षकों का कार्य अलग—अलग प्रकृति का होता है । स्टेशनरी भत्ते पर विचार करने का आश्वासन दिया गया ।

(कार्यवाही— राजस्व/वित्त विभाग)

11. म0प्र0 आई0टी0आई0 तकनीकी कर्मचारी संघ

1. जिस प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। उसी प्रकार प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जायें। चूंकि पूर्व में भी प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष एवं 60 वर्ष से 62 वर्ष की जा चुकी है।

2. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालनालय कौशल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित स्कील डेवलपमेंट सेन्टर (एस.डी.सी.) में संविदा के पद पर कार्यरत संविदा शिक्षकों के समान नियमितिकरण कर उचित लाभ दिया जावें। जिससे प्रदेश में तहसी स्तर पर स्कील डेवलपमेंट का उचित लाभ प्राप्त हो सके। विगत तीन वर्षो से कार्यरत इन संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मानदेय भी बढाया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा मांग पर परीक्षण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही— तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)

12. म0प्र0सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ

(1) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की गत वर्षो की गोपनीय प्रतिवेदन नही लिखे गये है उनकी कार्य का मूल्याकंन के आधार पर वर्तमान उपसंचालक को लिखने हेतु अधिकृत किया जाये तथा डी.पी.सी. शीघ्र कराई जायें।

निरन्तर....6

(2) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को विभागीय कार्य के अलावा अतिरिक्त कार्य जैसे बी.एल.ओ., जनगणना, परिचयपत्र, राशनकार्ड, सर्वेक्षण आदि कार्य मेंनहीं लगाई जावें या विभागीय लक्ष्यों की बाध्यता समाप्त की जाय।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि तत्काल नियमानुसार गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाकर पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । बिन्दु कमांक–2 पर प्रमुख सचिव से चर्चा कर विचार करने का आश्वासन दिया गया ।

(कार्यवाही–पशुपालन विभाग)

13. **प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ भोपाल**

(1) दि. 01.01.2006 से 31.03.2010 तक के यू.जी.सी. वेतनमान एरियर्स की द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को आज दि. तक अप्राप्त है। ज्ञात हो कि इस हेतु सम्पूर्ण राशि भारत सरकार से प्राप्त की जाना है तथा द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु 129.00 करोड़ रूपये की धनराशि दि. 31.03.2015 को म.प्र. शासन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. शासन प्रशासन विभाग के आदेशों/ निर्देशों/परिपत्रों का मान्यता कर्मचारी संघों कों पृष्ठांकन न किया जाना, संघ के पत्रों का उत्तर न दिया जाना, संचालनालय एवं मंत्रालय स्तर पर प्रत्येक 3 माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित न किया जाना, अनावश्यक मुकद्दमेंबाजी से बचने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न किया जाना आदि।

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि रूपये 129.00 करोड़ की राशि एरियर्स भुगतान हेतु आवंटित की जा चुकी है । संबंधितों को 15 दिवस के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया गया ।

(कार्यवाही –उच्च शिक्षा विभाग)

14. **म0प्र0 राजपत्रित अधिकारी संघ**

(1) पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन के अन्तर्गत राजधानी परियोजना (सीपीए) भोपाल में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आकर सहायक संत्री सिविल को उच्च पद कार्यपालन यंत्री(विद्युत) का प्रभार कई वर्षों से नियम विरूद्ध दिया है। इससे भारत सरकार के उर्जा अधिनियमों का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है ।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग में लम्बे समय से चली आ रही मांग जिसमें माध्यमिक विद्यालय प्राधानाध्यापक को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर सीधे पदोन्नत करने हेतु पुराने सेटअप

निरन्तर....7

के अनुसार पुनः व्याख्याता, प्राधानाध्यापक, के अनुपातिक आधार पर पदोन्नति के नियम बनाये जायें ।

मुख्य सचिव द्वारा प्रतिनियुक्ति एवं वेतन विसंगति पर परीक्षण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही—नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण/स्कूल शिक्षा विभाग)

15. म0प्र0 तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ

(1) प्रदेश में कर्मचारियों के केन्द्रीय छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप एवं अन्य राज्यों के समान एक जनवरी से 30 जून तक पूर्व में वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहें कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि दी जावें।

(2) राज्य के लोक सेवकों को समयमान वेतन योजना नियम 2008 में शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालिक, तकनीकी, लिपिक एवं वर्क चार्ज कान्टीजेन्सी को लाभ दिलाये जाने एवं पदोन्नति नियम, 2002 में छत्तीसगढ़ शासन की भॉति संशोधन कराये जाने बावत् ।

(3)छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को ग्रेड—पे संशोधित किये जाने एवं मकान भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता व अन्य प्राशंगिक लाभ केन्द्र की भॉति दिया जाए । अर्जित अवकाश 240 दिवस से बढ़ाकर 300 किया जाए ।

मुख्य सचिव द्वारा व्यक्त किया गया कि इस संबंध में विचार विचार करेंगे ।

(कार्यवाही—वित्त/सा.प्र.विभाग)

16. म0प्र0 शिक्षक कांग्रेस संघ

(1) सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर की जाने वाली पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाए न कि विषयमान से ।

(2) सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्राधानाध्यापक का पद सृजित किया जावेगा। संघ ने मांग की कि अध्यापकों को शिक्षक संवर्ग में शामिल किया जाए । जिला पंचायत के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों स्कूल शिक्षा विभागमें शामिल किया जाए । 08 माह तक शिक्षकों से गैर शिक्षिकीय कार्य कराया जाता है । इसे बंद किया जाए ।

मुख्य सचिव द्वारा दोनों बिन्दुओं पर परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही— स्कूल शिक्षा विभाग)

निरन्तर....8

17). म0प्र0राज्य कर्मचारी संघ, भोपाल

(1) 01 जनवरी 2006 एवं 30 जून 2006 के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों को केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा देय एक वेतन वृद्धि का लाभ म.प्र. के कर्मचारियों को भी दिया जायें।

(2) वेतनमान रूपये 5000—8000 एवं 5000—9000 में ग्रेड पे रूपये 3200 एवं 3600 के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समान क्रमशः ग्रेड—पे रूपये 4200 एवं रूपये 4300 दी जाये।

मुख्य सचिव द्वारा व्यक्त किया गया कि इस संबंध में विचार करेंगे ।

(कार्यवाही— वित्त/सा0प्र0विभाग)

18. म0प्र0अनुसूचित जाति—जन जाति अधिकारी/ कर्मचारी संघ, भोपाल (अजाक्स)

(1) लोक निर्माण विभाग में सहा. यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर की गई पदोन्नति नियमसें के विरूद्ध निरस्त किये जाने के संबंध में साथ ही अधिक्षण यंत्री से मुख्य अभियंता के पद हेतु वर्ष 2007 की स्थिति में जो गलत डी.पी.सी. की गई है, उसे निरस्त किये जाने बावत।

(2) आयुष विभाग में अजाक्स के पदों के विरूद्ध लेक्चरार, लीडर एव्र प्रोफेसर के पदों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों से की गई संविदा/नियमित नियुक्तियॉ को तत्काल निरस्त करने के संबंध में एवं आरक्षित पदों के विरूद्ध की गई नियुक्तियों आदि पर वेतन भत्ते/व्यय की गई राशि की वसूली बावत्।

मुख्य सचिव द्वारा संबधित विभागों को मा0 न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही— लोक निर्माण/आयुष विभाग)

19. म0प्र0डिप्लोमा इंजीनियर्स एसो0, भोपाल

(1) शाराकीय सेवा में 28 वर्ष पूर्ण किये गये उपयंत्रियों को एक अनिवार्य पदोन्नति तथा 20 वर्ष की सेवा उपरांत एक द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिया जाए ।

(2) जल संसाधन/लोक निर्माण विभाग में उपयंत्री संवर्ग में डिप्लोमाधारी उपयंत्री 50 प्रतिशत एवं डिग्रीधारी 20 प्रतिशत किया जाए ।

(3) उपयंत्री संवर्ग को प्रारंभिक वेतनमान ग्रेड वेतन रू. 3200.00 के स्थान पर 4800.00 स्वीकृत किया जाये ।

(4) विगत 8—9 वर्षों से मनरेगा, सर्वशिक्षा, आर.आर.डी.ए. एवं शासन की अन्य योजनाों में कार्यरत अनुभवी संविदा उपयंत्रियों को सृजित 2190 पदों के विरूद्ध नियमित कर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में संविलियन किया जाये ।

निरन्तर...9

मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों को परीक्षण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–लोक निर्माण/जल संसाधन/पंचायत एवं ग्रा.वि. विभाग)

20. म0प्र0 वन कर्मचारी संघ

उपरोक्त संघ के दो अलग–अलग पदाधिकारीगण के उपस्थित होने और उनके प्रतिनिधित्व का विवाद मा0 न्यायालय में होने के कारण मुख्य सचिव द्वारा संघ के प्रतिनिधियों से दो सप्ताह बाद पृथक से बैठक कर निराकरण करने का आश्वासन दिया ।

(कार्यवाही– सा.प्र.विभाग)

उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा सामूहिक रूप से संघों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान आकर्षित करते हुए निराकरण करने का अनुरोध किया गया :–

(1) स्थानांतरण नीति में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट दी गई है, किन्तु कतिपय विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, इस हेतु शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के पुनः निर्देश जारी किये जाएं ।

(2) कतिपय विभागों में चार–पॉच वर्षो से अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखे जाने के कारण पदोन्नति/समयमान वेतनमान् की कार्यवाही नहीं हो पा रही है । इसके लिए भी शासन द्वारा निर्देश जारी किये जाएं ।

(3) शासन के विभिन्न विभागों/संचालनालय द्वारा परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है । बैठकें निरन्तर आयोजित करने के निर्देश दिये जावें ।

मुख्य सचिव द्वारा उपरोक्त समस्याओं के संबंध में यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही –समस्त विभाग)

मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त परार्मशदात्री परिषद् की आगामी बैठक अप्रैल, 2016 में रखे जाने के निर्देश दिये गये ।

बैठक धन्यावाद के साथ समाप्त हुई ।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मान. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2015, पूर्वान्ह 12:00 बजे आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकरियों की सूचीः—

क्रं.	संघ का नाम	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं.
1.	म0प्र0 लघु वेतन कर्म0संघ, भोपाल	श्री महेन्द्र शर्मा, प्रान्ताध्यक्ष	9826286281
2.	अध्यक्ष, म0प्र0 सचिवालयीन (मंत्रालयीन) कर्मचारी संघ, भोपाल	श्री सुधीर नायक, अध्यक्ष सुभाष वर्मा,सचिव,	9407254431 9826287634
3.	म0प्र0 शिक्षक संघ, भोपाल	श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रान्ताध्यक्ष, हिम्मत सिंह जैन, प्रांतीय महामंत्री,	9424620636 3425328521
4.	म0प्र0 कर्मचारी कांग्रेस, भोपाल	श्री वीरेन्द्र सिंह खोंगल, प्रदेश अध्यक्ष, श्री अशोक दडोंतिया, प्रा.प्र.महा.सचिव,	9424751051 9826214407
5.	म0प्र0 पटवारी संघ	श्री प्रकाश माली, प्रदेश अध्यक्ष, श्री कुलभूषण, प्रदेश महामंत्री	9926599066 9424331397
6.	म0प्र0 लिपिक वर्गीय शास0कर्म0संघ	श्री मनोज बाजपेयी, प्रातांध्यक्ष, श्री वी.पी. तिवारी, कार्य.प्रान्ताध्यक्ष	9424635255 9826980789
7.	म0प्र0 स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, भोपाल	श्री अजीज मोह. खान, महामंत्री	789885605
8.	म0प्र0 वन कर्मचारी संघ, भोपाल	श्री निर्मल तिवारी, प्रान्ताध्यक्ष, श्री संजय पाण्डेय,	95755921?0 9827093973
9.	म0प्र0 शास0वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, भोपाल	श्री साबिर खान, प्रान्तीय अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	9229586977 9926434937
10.	म0प्र0 अनु0जाति/जन जाति पिछड़ा वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संगठन (अपाक्स), भोपाल	श्री भुवनेश कुमार पटेल, श्री गौतम पाठक, प्रांतीय सचिव,	945008000
11.	म0प्र0 राजस्व निरीक्षक संघ, ग्वालियर	श्री फिरोज अली, प्रान्ताध्यक्ष, श्री बजरंग शरण आचार्य, महासचिव,	9425012959
12.	म0प्र0 आई0टी0आई0 तकनीकी कर्मचारी संघ	श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रातांध्यक्ष श्री शिरीष शेकटकर, प्रान्तीय सचिव,	9826044403 9827275900
13.	म0प्र0सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ	श्री आर0पी0उपाध्याय, प्रान्ताध्यक्ष, श्री बी. एस. वर्मा, महामंत्री,	9425392578 9425374980
14.	प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ भोपाल	डा0 कैलाश त्यागी, प्रांताध्यक्ष, डॉ. आनन्द शर्मा, महासचिव,	9425029587 8889932163
15.	म0प्र0 राजपत्रित अधिकारी संघ, भोपाल	इंजी. अशोक शर्मा, अध्यक्ष, श्री रजेन्द्र पराशर, उपाध्यक्ष	9425019043 9893286807
16.	म0प्र0 तृतीय वर्ग शास0कर्म0 संघ, भोपाल	श्री ओ. पी. कटियार, प्रान्ताध्यक्ष श्री अरूण द्विवेदी,	9827264332
17.	म0प्र0 शिक्षक कांग्रेस, भोपाल	श्री प्रेमनारायण तिवारी, प्रांत. महामंत्री, श्री निर्मल अग्रवाल, प्रांताध्यक्ष,	9425465712 9425188059
18.	म0प्र0 राज्य कर्मचारी संघ, भोपाल	श्री जितेन्द्र सिंह, प्रान्ताध्यक्ष, श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना, प्रदेश महा.	9425171030 9425171030
19.	म0प्र0 अनुसूचित जाति—जन जाति अधिकारी / कर्मचारी संघ, भोपाल (अजाक्स)	इंजी. एस. एल. सूर्यवंशी, महा. सचिव, डॉ. रावण वर्मा, प्र. संयु. सचिव,	9425041071 9925131998
20.	म0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स एसो0, भोपाल	इं. पी. एस. परिहार, प्रांताध्यक्ष,	9425863248

मान. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2015, पूर्वान्ह 12:00 बजे आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकरियों की सूचीः–

क्रं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग का नाम
1.	श्री आर. एस. मोहन्ती, अपर मुख्य सचिव,	स्कूल शिक्षा विभाग,
2.	श्री एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव,	सामान्य प्रशासन विभाग,
3.	श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव,	वाणिज्य कर विभाग,
4.	श्री के. के. सिंह, प्रमुख सचिव,	राजस्व एवं उच्च शिक्षा विभाग,
5.	श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव,	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
6.	श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, सचिव,	वित्त विभाग,
7.	श्री तिलकराज, सचिव,	जल संसाधन विभाग,
8.	श्री दीप्ति मुखर्जी, आयुक्त	राज्य शिक्षा केन्द्र विभाग,
9.	श्री मनीष श्रीवास्तव, आयुक्त,	सहकरिता विभाग,
10.	श्री डी.डी. अग्रवाल, आयुक्त,	लोक शिक्षण विभाग,
11.	श्री सी.बी. सिंह, अतिरिक्त सचिव,	स्कूल शिक्षा विभाग,
12.	श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सचिव,	राजस्व विभाग,
13.	श्री अशोक वर्मा, उपसचिव,	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग,
14.	शशि खत्री, उपसचिव,	आयुष विभाग,
15.	श्री ललित दाहिमा, उपसचिव,	उच्च शिक्षा विभाग,
16.	श्री आर. बी. प्रजापति, उपसचिव,	लोक स्वास्थ्य विभाग,
17.	श्री रवि दफारिया, उपसचिव,	राजस्व विभाग,
18.	श्री प्रकाश खरे, उपसचिव,	सहकारिता विभाग,
19.	श्री डी.पी. अगरैया, अवर सचिव,	वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग,
20.	श्रीमती शकीला अख्तर, अवर सचिव,	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
21.	श्री आर. एस. विश्वकर्मा, उपायुक्त,	सहकारिता विभाग,
22.	श्री विमल श्रीवास्तव, उपायुक्त	कार्या. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीकरण सह. संस्था,
23.	डॉ. बी. एस. टेकाम, प्र. संचालक,	आयुष विभाग,
24.	डॉ. आर. के. मेहिया, संयुक्त संचालक,	पशुपालन संचालनालय विभाग,
25.	श्री अशोक मनवानी, प्रेस अधिकारी,	मंत्रालय